न्यायालय अति0 जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रवेश तिथि 08.11.2024

अपील संख्या 12/71/2024 रजि० नं0 2024/63

अपीलार्थी :–	प्रत्यर्थी :–
ताराचन्द, मजदूर संघ फाउण्डेसन ग्राम एवं पोस्ट पतलिया तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राज0)	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

–: निर्णय :– दिनांक 27.11.2024

1– अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा को प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2– अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है, कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3– अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा से जरिये नोटिस क्रमाक 4090–91 दिनांक 12.11.2024 से जवाब तलब किया गया, एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी कर, यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 18.11.2024 को उपस्थित आवें। नियत तिथी को अपीलार्थी उपस्थित नही हुआ।

4– राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर ने जर्ये पत्र क्रमाक 152 दिनाक 18.11.2024 के द्वारा जवाब पेश कर की गयी कार्यवाही की प्रति संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिससे स्पष्ट है, कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन पत्र दिनाक 18.09.2024 में वर्णित सूचनाऐ अपील किये जाने के पश्चात उपलब्ध करायी गयी है। उक्त क्रम में विधिक प्रावधानो की पालना नही की गयी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो में नियत समय अवधि का विशेष ध्यान रखे जाने का प्रावधान है। पीठासीन अधिकारी को हिदायत दी जाती है, भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनो में नियत समय अवधि/विधिक प्रावधानो का विशेष ध्यान रखा जाकर विधिवत कार्यवाही करे।

5– पत्रावली का अवलोकन किया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर द्वारा अपीलार्थी को अब सूचना प्रेषित कर दी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

6– अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित–प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जायें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो।

7–आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/11/24

(शिवपाल जाट)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते